परेशानी

कुण्डम रोड स्थित ग्राम अमझर के रहवासी ने लगाई आर्थिक मदद की गुहार

छत भी जाए और रोजी-रोटी भी, तो कहां जाएंगे?

नवभारत,जबलपुर। कुण्डम रोड स्थित ग्राम अमझर में बन रहे रिंग रोड का कार्य जहां शहर के विकास की नई तस्वीर गढ़ रहा है, वहीं सड़क किनारे पिछले लगभग 30 वर्षों से रह रहे कई परिवारों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है। निर्माण कार्य के चलते घरों और दुकानों को हटाया जा रहा है। प्रभावित रहवासियों ने पीडब्ल्यूडी विभाग से आर्थिक सहायता की मांग की है ताकि वे दूसरी जगह अपने रहने और रोजगार की व्यवस्था कर सकें।

30 साल बाद पता चला सरकारी जमीन पर है हिस्सा

स्थानीय निवासी संतोष कुमार मेहरा ने बताया कि करीब 30 साल पहले यह जमीन एक आदिवासी परिवार की थी, जिसके बाद समय-समय पर भूमि का क्रय-विक्रय होता रहा। उन्होंने बताया, 'किसी महावीर नाम के व्यक्ति ने यहां रहने की अनुमति दी थी। तभी से हम यहीं रहकर गुजर-बसर कर रहे हैं। अब रिंग रोड निर्माण शुरू हुआ तो पता चला कि हमारे मकान और दुकान का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर है, जो सड़क में जा रहा है। हमारे पास और कोई ठिकाना नहीं है।

विकास का विरोध नहीं, बेघर होना बड़ा संकट

प्रभावित परिवारों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि वे दूसरी जगह मकान और रोजगार की व्यवस्था कर सकें। उनका कहना है कि वे विकास के विरोध में नहीं हैं, लेकिन पुनर्वास के बिना बेघर होना उनके लिए बड़ा संकट है।

इनका कहना है

30 साल से यहां रह रहे हैं। अब मकान का हिस्सा सड़क में जा रहा है। हमारे पास और कोई जमीन नहीं है, सरकार मदद करे।

संतोष कुमार मेहरा

हम मजदूरी करते हैं। घर हटेगा तो रहने का ठिकाना नहीं बचेगा, थोड़ी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।

गुड्डी बाई गोटिया

जिंदगी भर की कमाई से घर बनाया था। अगर यह टूट गया तो बच्चों को लेकर कहां जाएंगे?

उमा मेहरा

विकास जरूरी है, लेकिन 30 साल से रह रहे लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

विश्राम ठाकुर

ग्राम अमझर में रहने वाले जिन परिवारों के घर रिंग रोड में जा रहे हैं, उनको तहसीलदार के यहां से नोटिस जारी हुए हैं, जिनको मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन जो सरकारी जमीन पर रह रहे हैं, फिलहाल उनके लिए पीडब्लूडी विभाग ही अपने राजस्व से कुछ आर्थिक सहायता कर सकता है।

अनिकेत महोबिया
पटवारी

97.41 लाख की हेराफेरी करने किसानों के दर्ज किए फर्जी पंजीयन

समिति प्रबंधक, ऑपरेटर के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज

जबलपुर। सेवा सहकारी समिति मर्यादित लखनपुर संस्था में समर्थन मूल्य का अवैध लाभ दिलाने के इरादे से किसानों के फर्जी पंजीयन कर 97,41,162 रुपये की शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने हेराफेरी की गई। मामले में सिहोरा पुलिस ने समिति प्रबंधक समेत ऑपरेटर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक ब्रिजेश कुमार जाटव, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मझौली ने लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जिसमें बताया गया कि खरीफविपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कृषक पंजीयन के लिए सेवा सहकारी समिति मर्यादित लखनपुर संस्था निर्धारित किया गया था। ई-उपार्जन पोर्टल पर पर संस्था सेवा सहकारी समिति मर्यादित लखनपुर की स्थापना की जाकर पंजीयन का कार्य 15 सितम्बर 2025 से 10 अक्टूबर 2025 तक किया गया। पंजीयन केंद्र के माध्यम से 2763 किसानों का पंजीयन किया गया। किसान पंजीयन के लिए निर्धारित अंतिम 10 अक्टूबर 2025 को रात 10 बजे से 12 बजे की बीच 24 किसानों का फर्जी पंजीयन किया गया। फर्जी पंजीकृत किसानों के नाम पर भूमि नहीं होने के उपरांत भी पंजीयन किया गया, ताकि समर्थन मूल्य का अवैध लाभ फर्जी पंजीकृत किसानों को दिलाया जा सके। ई-उपार्जन पोर्टल के अनुसार फर्जी पंजीकृत 24 किसानों का कुल पंजीकृत रकवा 88.05 हेक्टेयर है। तहसील मझौली के लिए प्रति हेक्टेयर धान की उत्पादकता 46.7 क्विंटल है। उक्त 24 किसानों के पंजीकृत रकवे में 4111.93 क्विंटल धान, जिसका कुल समर्थन मूल्य राशि रूपये 97,41,162 रूपए विक्रय किए जाने के उद्देश्य से फर्जी किसान पंजीयन कराया गया। इस प्रकार सेवा सहकारी समिति मर्यादित लखनपुर के समिति प्रबंधक अखिलेश कुमार पटेल, एवं ऑपरेटर श्रीमती अनुराधा पटेल, के द्वारा शासन के साथ धोखाधड़ी एवं छलपूर्वक कार्य करते हुये 97,41,162 रुपये की शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से किसानों के फर्जी पंजीयन किये गये। समिति प्रबंधक अखिलेश कुमार पटैल एवं ऑपरेटर श्रीमति अनुराधा पटैल के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।

टैक्स जमा नहीं करने पर मधुकलश एवं अन्य प्रतिष्ठान सील

जबलपुर, नवभारत। लंबे समय से संपत्ति टैक्स जमा नहीं करने वालों पर कैंट बोर्ड प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर है। इसी क्रम में बुधवार की सुबह कैंट बोर्ड के राजस्व विभाग ने सदर मेन रोड स्थित मधुकलश स्वीट्स को सील कर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इसी तरह रांझी में भी एक लॉज को सील किया गया है। राजस्व विभाग के आशीष वर्मा ने बताया कि कैंट बाजार क्षेत्र के कई ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं जो लंबे से संपत्ति कर जमा नहीं कर रहे हैं। जिनको देखते हुए कैंट बोर्ड सीईओ राजीव कुमार निर्देश पर ऐसे बड़े बकायादारों को पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन

उसके बाद भी जब तय समय सीमा में टैक्स बिलों का भुगतान नहीं किया गया तो अब सीलिंग की कार्यवाही की जा रही है।

मेमोरी लॉज भी सील

बता से इससे पहले पूर्व में सदर बाजार क्षेत्र के दो भवनों को सील किया गया था। इसी तरह बुधवार की सुबह सदर मेन रोड स्थित मधुकलश स्वीट्स, रमेश गुप्ता और रजनीश गुप्ता के मकान को सील किया गया है। वहीं बकाया टैक्स जमा नहीं किए जाने पर प्रस्तावित अग्रिम कार्रवाई के संबंध में चेतावनी नोटिस भी चस्पा किया गया है।इसी तरह रांझी मेन रोड स्थित मेमोरी लॉज शॉप आरती जायसवाल मकान को भी टैक्स बिल बकाया होने के चलते सील किया गया है। इस कार्यवाही के दौरान राजस्व विभाग के आशीष वर्मा, जाहिद अंसारी, मिथलेश यादव, खेमराज मीना उपस्थित थे।

हत्यारे को आजीवन कारावास

जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश विपिन सिंह भदौरिया की अदालत ने गोली मारकर हत्या करने के आरोपी जबलपुर निवासी बंटी उर्फ ब्रजेश का दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व सत्रह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी वर्षा वैद्य ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि फरियादी नरेश मिश्रा ने गोरखपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया था कि तीन अक्टूबर 2023 को रात्रि 11 बजे आरोपी ने संजय मिश्रा को फोन करके गुप्ता टाल के समीप बुलाया था। वहां पहुंचने पर गोली चला दी। इससे संजय घायल हो गया। उसे मेडिकल ले जाया गया। जहां उसकी मृत्यु हो गई। गोरखपुर पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया।

समिति निर्वाचित सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर, अंगूठा बना जाली त्यागपत्र बनाया

गुमराह कर कराया निर्वाचन, पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का प्रकरण

नवभारत, जबलपुर। मछली पालन सहकारी मर्यादित पोडीखुर्द (अतरिया) गोसलपुर के समित के निर्वाचित सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी लगाकर दस्तावेजों की कूटरचना करते हुये फर्जी त्यागपत्र बनाकर धोखाधड़ी की गई बल्कि गुमराह कर निर्वाचन कराया गया। इस ममाले में गोसलपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है ।

शिकायतकर्ता सुशीला बर्मन एवं माया बर्मन के मुताबिक वे

अतरिया मछली पालन सहकारी समिति मर्यादित, पौडीखुर्द (अतरिया) गोसलपुर जिला जबलपुर के 10 दिसम्बर 2022 को निर्वाचित संचालक मंडल के सदस्य वर्षों पुराने सदस्य है। समिति के संचालक मंडल का निर्वाचन 10 दिसम्बर 2022 को संपन्न हुआ है जिसमें वे संचालक मंडल के सदस्य निर्वाचित हुये है किंतु बिहारीलाल रैकवार जो अमिति के अध्यक्ष रहे है उनके व उनके साथी संचालकों के द्वारा हम सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी बनाकर कूटरचित फर्जी त्यागपत्र तैयार कर संचालक सदस्यों के 5 (पांच) पद रिक्त बताये जाकर सहकारिता कार्यालय जबलपुर के माध्यम से चुनाव कराये जाने के लिए फर्जी निर्वाचन प्रस्ताव बनाया गया एवं 23 सदस्यों को सदस्यता सूची 23 सदस्यों (अपात्र) के नाम अविधिक प्रक्रिया से जोड़ दिये गये है। फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी बनाकर कूटरचित फर्जी त्यागपत्र तैयार कर 5 संचालक मंडल सदस्य के पद रिक्त बताते हुये निर्वाचन कराया जा रहा था। मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। कोई कार्यवाही नही होन पर न्यायालय उप-पंजीयक (न्यायिक) सहकारी संस्थायें जबलपुर के समक्ष विवाद प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। निर्वाचित 5 रिक्त संचालक पदों का निर्वाचन को चुनौती दी गयी थी। जिसके बाद आरोपियों द्वारा किये गये त्यागपत्र की कूटरचना को सही पाया गया था। 5 नियुक्त किये गये संचालक सदस्यों का निर्वाचन अवैध घोषित किया गया था। मामले में बिहारीला रैकवार समेत उसके साथियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।

पति-पत्नी एक दूसरे पर करते थे शक, हत्या, हादसा, सुसाइड एंगल पर जांच

एसकेआर रेसीडेंसी की चौथी मंजिला से गिरी महिला की मौत का मामला

नवभारत, जबलपुर। गोराबाजार थाना अंतर्गत एसकेआर रेसीडेंसी की चौथी मंजिल से मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों में गिर कर हुई महिला की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या, आत्महत्या, सुसाइड एंगल पर छानबीन शुरू कर दी है। अब तक की जांच में यह बात सामने आई कि पति-पत्नी एक दूसरे पर शक करते थे। मामले की जांच जारी है। मायके और ससुराल पक्ष के बयान दर्ज होना बाकी है। जिसके बाद ही पूरा मामला साफ हो सकेगा। फिलहाल पुलिस हर एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है।

विदित हो कि गोराबाजार आरकेआर रेसीडेंसी निवासी आशीष कुशवाहा ने 2018 में रिचा से लव मैरिज की थी। दोनों की पांच साल की बेटी है। आशीष मनेरी की एक फैक्ट्री में काम करता है। आशीष कुशवाहा ने पुलिस को सूचना दी थी कि बताया कि उसकी पत्नी रिचा राजानी की उसके दोस्त वैभव साहू से इसंटाग्राम में बात चीत होती है यह बात क्लीयर करने के लिये मंगलवार को सुबह लगभग 8 बजे वह रिचा से इसी संबध में चर्चा करने लगा और इसी बात को लेकर उसकी और रिचा की बहस होने लगी, रिचा गुस्से में दौडकर किचिन की बालकनी से नीचे कूद गई उसका फ्लेट चौथे मंजिल में है जिसकी बालकनी से रिचा नीचे कूदी है रिचा को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचा था जहां डाक्टर ने इलाज दौरान उसकी पत्नी रिचा राजानी 35 वर्ष को मृत घोषित कर दिया था।

कैमरे में दिखी गिरते

मंगलवार को पुलिस की टीम ने सीसीटीव्ही कैमरों को खंगाला जिसमें घटना कैद हो गई है। एक फुटेज में मृतिका गिरते हुए नजर आ रही है। पुलिस ने मृतिका का मोबाइल भी जब्त किया है जिसकी भी जांच चल रही है। इसके अलावा सोसायटी में रहने वालों से भी पूछताछ की गई है लेकिन अब स्पष्ट नहीं हो सका कि वे किन परिस्थितियों में नीचे गिरी है ।

बयान दर्ज होगे, जांच जारी है, तथ्यों के आधार पर होगी कार्रवाई

गोराबाजार थाना प्रभारी संजीव त्रिपाठी ने बताया कि महिला किन परिस्थितियों में गिरी इसका अब तक पता नहीं चल सका है जांच जारी है। परिजनों के बयान दर्ज होगे इसके बाद मामला स्पष्ट हो सकता है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि पति-पत्नी एक दूसरे पर शक करते थे जिसके चलते उनके बीच में विवाद होता रहता था। हर एंगल पर जांच जारी है जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

बस स्टॉप पर मिला शव

जबलपुर। पनागर थाना अंतर्गत बम्हनौदा रोड हाईवे स्थित बस स्टॉप पर शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि पनागर निवासी धर्मेंद्र विश्वकर्मा बम्हनौदा बाईपास पर चाय-नाश्ते का ठेला लगाते हैं जिसने पुलिस को सूचना दी कि बस स्टॉप के पास एक अधेड़ व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। मृतक की अज्ञात लगभग 50 वर्ष है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ करने के साथ थानों में दर्ज गुमशुदगी रिकॉर्ड खंगाल रही है ताकि मृतक के परिजनों का पता लगाया जा सके।

ओएफके-खमरिया मार्ग पर सैकड़ों पेड़ों की कटाई

सड़क चौड़ीकरण शुरू, हरियाली पर संकट

नवभारत,जबलपुर। यातायात सुविधा और दुर्घटनाओं में कमी के लिए रांझी से खमरिया तक की सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो गया है। जहां ओएफके से झिरिया होते हुए खमरिया थाने तक बन रही सड़क के चौड़ीकरण कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है लेकिन निर्माण कार्य के साथ ही सड़क किनारे वर्षों से खड़े सैकड़ों पेड़ों की कटाई और हटाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। भारी मशीनों और मजदूरों की मदद से पेड़ों को जड़ से उखाड़ा जा रहा है, जिससे सड़क किनारे की हरियाली समाप्त होती नजर आ रही है।

राहगीरों-रहवासियों में नाराजगी

रोजाना आवागमन करने वाले लोगों एवं आसपास के नागरिकों ने पेड़ों की कटाई पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि ये पेड़ न केवल छाया और स्वच्छ हवा प्रदान करते थे, बल्कि गर्मी के दिनों में धूप से काफी राहत भी प्रदान करते हैं। लोगों की मांग है कि कटाई की भरपाई के लिए उसी क्षेत्र में अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाए और उनकी देखरेख की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे।

एक माह में नौ बाघों की मौत का दावा

फील्ड डायरेक्टर से हाईकोर्ट ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट

जबलपुर। हाईकोर्ट में बुधवार को प्रदेश के टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत के मामले में में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि बाघों की मौत का सबसे बड़ा कारण अवैध शिकार है और इसे लेकर अधिकारी गंभीर नहीं हैं। एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि केवल जनवरी 2026 में ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 9 बाघों की मौत हुई है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने इस संबंध में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये है।

हाईकोर्ट में भोपाल के वन्य प्राणी कार्यकर्ता अजय दुबे की ओर से यह जनहित याचिका दायर की गई है। जिसमें दावा किया गया है कि वर्ष 2025 में प्रदेश में 54 बाघों की मौत हुई है। आवेदक की ओर से कहा गया कि पूरी दुनिया में कुल 5,421 बाघ हैं, जिनमें से 3,167 भारत में पाए जाते हैं। मध्यप्रदेश में ही 785 टाइगर मौजूद हैं। इस कारण मप्र को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वर्ष 2025 के दौरान प्रदेश में 54 बाघों की मौत हुई है। दलील दी गई कि वर्ष 1973 में शुरू हुए प्रोजेक्ट टाइगर के बाद यह पहला मौका है जब किसी एक राज्य में एक ही वर्ष में इतने अधिक बाघों की मौतें हुई हैं। मौतों के पीछे पोचिंग, करंट, रेल हादसे और रहस्यमयी घटनाएं शामिल हैं। आवेदक का कहना है कि प्रदेश में पिछले पांच सालों में कुल 222 बाघों की मौत दर्ज की गई है। हर साल मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। वर्ष 2021 में 34 मौतें, 2022 में 43, 2023 में 45, 2024 में 46 और 2025 में 54 मौतें हुई हैं। केवल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ही लगभग 57 प्रतिशत मौतें अप्राकृतिक बताई गई हैं। ये मौतें शिकार, करंट लगने और संदिग्ध परिस्थितियों में हुईं थीं। हाल ही में उमरिया जिले के चंदिया रेंज में बिजली लाइन के पास टाइगर का शव मिलने से इलेक्ट्रोक्यूशन की आशंका जताई गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी और अधिवक्ता अलका सिंह पैरवी कर रहीं है।

लापता बुजुर्ग को तलाश कर पेश करो : हाईकोर्ट

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने 62 वर्षीय गुमशुदा वृद्ध को ढूंढ कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर और अधारताल थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के भी निर्देश दिये है।

यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जबलपुर निवासी दीपक विश्वकर्मा की ओर से दायर की गई है। जिनकी ओर से अधिवक्ता अतुल जेसवानी व अक्षय झा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता के पिता राकेश विश्वकर्मा 27 जून 2025 की रात्रि 9 बजे के आसपास पास घर से निकले और तभी से लापता हैं। इस मामले में अधारताल थाने में 28 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सात माह बाद भी पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाई है। पुलिस अधीक्षक को भी इस संबंध में शिकायत सौंपी थी। यह आशंका भी जताई गई कि किसी अज्ञात गिरोह के द्वारा बुजुर्ग को गायब किया गया है। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57